No.OL/27/07/PER-06/ 2782 Administration of Daman & Diu, Department of Personnel & Administrative Reforms, Secretariat, Daman – 396 220.

Dated:- 10 /11/2013.

Read:- Circular No.OL/27/07/PER-06/3074 dated 27/11/2012

CIRCULAR

Sub:- Regarding framing /Amendment of Recruitment Rules

In continuation to this department Circular quoted in the preamble above, it is once again requested that all Head of offices to submit their proposal for framing/amendment of Recruitment Rules for all the posts which is not yet been amended/framed as per the latest guidelines issued by the DoPT vide O.M. dated 31/12/2010 at the earliest.

Further, the departments/Offices are requested to under take revision of the existing Recruitment Rules, especially those which were notified prior to 01/04/2008 in respect of the posts under the administrative control of the Administration and furnish the information in respect of all the Recruitment Rules framed/amended/reviewed/pending as per the enclosed format to this office within 10 days.

(S.K. Varma) Deputy Secretary (Per)

To, All Head of Offices, Daman

Copy to :

- 1. The Staff Officer to Administrator, Secretariat, Daman for information, please.
- 2. The Deputy Collector, Diu with a request to circulate the same to All Head of Offices in Diu District.
- 3. The Assistant Director(OL), Secretariat, Daman for translation into Hindi.
- 4. The D.I.O., NIC, Secretariat, Daman for uploading in the Administration website.

सं. रा.भा./27/07/कार्मिक-06/2782 संघ प्रदेश दमण एवं दीव प्रशासन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग सचिवालय, दमण-396 220.

दिनांक:- 10/12/2013

पढ़ें:- परिपत्र सं. रा.भा./27/07/कार्मिक-06/3074 दिनांक 27/11/2012

पुरि प त्र

विषय:- भर्ती नियम को बनाने / संशोधन के संबंध में।

उद्देशिका में उल्लिखित विभाग के परिपन्न के अनुसरण में, समस्त कार्यालयाध्यक्षों से पुनः निवेदन किया जाता है कि वे उन पदों के भर्ती नियम को बनाने/संशोधन करने का प्रस्ताव भेजें जिन पदों के भर्ती नियम को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 31/12/2010 के तहत संशोधित / बनाया गया नहीं है।

पुनः, विभाग/कार्यालयों से निवेदन किया जाता है कि वे जारी भर्ती नियम को भी संशोधित करें, विशेषकर उन पदों के भर्ती नियम जिनको दिनांक 01/04/2008 के पहले अधिसूचित किया गया है और वैसे पद जो प्रशासन के प्रशासनिक नियंत्रण में आते हैं तथा बनाये गये/संशोधित/समीक्षित/लंबित भर्ती नियमों की सूचना संलग्नित प्रपत्र में 10 दिनों के भीतर भिजवायें।

> 23 जील जुजार जन (एस. के. वर्मा) उप सचिव (कार्मिक)

सेवा में, समस्त कार्यालयाध्यक्ष, दमण

प्रतिलिपि:-

- 1. प्रशासक की स्टाफ अधिकारी, सचिवालय, दमण को कृपया सूचनार्थ
- उप समाहर्ता, दीव को इस निवेदन के साथ कि वह इसे दीव जिले के समस्त कार्यालयाध्यक्षों को वितरित करवायें।
- जिला सूचना अधिकारी, एन.आई.सी., सचिवालय, दमण को प्रशासन के वेबसाईट पर अपलॉड करने के लिए।

YYY

विभाग का नाम / Name of the Department:-

1	ज्ञ.स. SI. No.
2	पद का नाम Name of the Post
3	पदों का वर्ग राजपत्रित / गैर-राजपत्रित Group of Posts Gazetted/Non-Gazetted
4	भती नियम की स्थिति क्या इसे बनाया/संशोधित/समीक्षित/लंबित किया गया है। Status of the Recruitment Rules, whether Framed/amended/reviewed/pending
5	अगर अधिसूचित किया गया है, तो अधिसूचना की सं. एवं तिथि If already notified, Notification No. and date
6	अगर लंबित हो, तो कारण बतायें If pending, reasons thereof
7	अभ्युक्तियाँ Remarks